रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022024-251691
**CG-DL-E-01022024-251691**

**असाधारण**
**EXTRAORDINARY**

**भाग III—खण्ड 4**
**PART III—Section 4**

**प्राधिकार से प्रकाशित**
**PUBLISHED BY AUTHORITY**

**सं. 73]** **नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 31, 2024/माघ 11, 1945**
**No. 73]** **NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 31, 2024/MAGHA 11, 1945**

## भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2024

### भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2024

**सं. आई.बी.बी.आई./2023-24/जी.एन./आर.ई.जी.109.—**भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है) के विनियम 3 के उप-विनियम (1) में,-

(I) खंड (क) में, "जैसा भी मामला हो, जिसे यह कथन करते हुए एक शपथनामा द्वारा सत्यापित किया जाए, कि –" वाक्यांश के पश्चात् –

(क) उप-खंड (i) में, "ऋण चुका सकेगा;" शब्दों और चिह्न के पश्चात् "और" शब्द का लोप किया जाएगा;

(ख) उप-खंड (ii) में, "समापन नहीं कर रहा है;" शब्दों और चिह्न के पश्चात् 'और" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ग) उप-खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित उप-खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(iii) कारपोरेट व्यक्ति ने, खंड (ख) के उप-खंड (iii) में उल्लिखित लंबित मामलों के कारण उद्भूत होने वाली बाध्यताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रावधान किया है ।"

(II) खंड (ख) में,

(क) उप-खंड (ii) में, "पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा तैयार की गई हो;" शब्दों और चिह्न के पश्चात् "और" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा ।

(ख) उप-खंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(iii) कारपोरेट व्यक्ति की बाबत लंबित कार्यवाहियों या कानूनी प्राधिकारियों के समक्ष निर्धारणों और लंबित मुकदमेबाज़ी के बारे में प्रकटन ।"

3. मूल विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (1) के खंड (ख) में, "वार्षिक" शब्द का लोप किया जाएगा ।

4. मूल विनियमों के विनियम 37 में, -

(I) उप-विनियम (2) में,

(क) "बारह महीने" शब्दों के स्थान पर "उप-विनियम (1) में नियत अवधि" शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(क) उप-विनियम (1) में यथा-नियत -

(i) यथास्थिति, दो सौ सत्तर दिन या नब्बे दिन की समाप्ति के और

(ii) उसके पश्चात् यथास्थिति, प्रत्येक उत्तरवर्ती दो सौ सत्तर दिन या नब्बे दिन की समाप्ति के,

पन्द्रह दिनों के भीतर कारपोरेट व्यक्ति के विघटन के लिए आवेदन प्रस्तुत किए जाने तक, कारपोरेट व्यक्ति के अंशदाताओं की बैठक आयोजित करेगा; और"

(ग) खंड (ख) में,

(i) "वार्षिक" शब्द का लोप किया जाएगा ।

(ii) उप-खंड (iii) में "और" शब्द का लोप किया जाएगा ।

(iii) उप-खंड (v) में, "और" शब्द का लोप किया जाएगा ।

(iv) उप-खंड (vi) में, "।" चिह्न के स्थान पर ";और" चिह्न और शब्द रखा जाएगा ।

(v) उप-खंड (vi) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(vii) नियत समय के भीतर प्रक्रिया पूरी न करने के कारण और प्रक्रिया पूरी करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त समय ।"

(II) उप-विनियम (3) में, "वार्षिक" शब्द का लोप किया जाएगा ।

(III)उप-विनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(4) परिसमापक, अंशदाताओं की बैठक के सात दिनों के भीतर, बोर्ड के समक्ष स्थिति रिपोर्ट फाइल करेगा ।"

5. मूल विनियम के विनियम 39 में,-

(I) उप-विनियम (7) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"(7) कारपोरेट व्यक्ति के विघटन से पूर्व, ऐसा हितधारक, जो कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते में जमा की गई किसी रकम का हकदार होने का दावा करता है, परिसमापक के पास रकम की निकासी के लिए प्ररूप-I में आवेदन कर सकेगा ।

(7क) परिसमापक, उप-विनियम (7) के अधीन अनुरोध प्राप्त होने पर, दावे का सत्यापन करने के पश्चात्, बोर्ड को वह रकम आगे वितरण के लिए उसे उन्मोचित करने का अनुरोध करेगा ।

(7ख) बोर्ड, उप-विनियम (7क) के अधीन अनुरोध प्राप्त करने पर वह रकम परिसमापक को उन्मोचित कर सकेगा ।

(7ग) परिसमापक, हितधारको को वितरित करने के पश्चात्, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को ऐसे वितरण की सूचना देगा ।

(7घ) कारपोरेट व्यक्ति के विघटन के पश्चात्, कोई ऐसा हितधारक, जो कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते में जमा की गई किसी रकम का हकदार होने का दावा करता है, बोर्ड के समक्ष उस रकम की निकासी के आदेश के लिए प्ररूप-I में आवेदन कर सकेगा ।

(7ङ) यदि हितधारक से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति, कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते में जमा की गई किसी रकम का हकदार होने का दावा करता है तो वह, यथास्थिति, परिसमापक या बोर्ड का यह समाधान करने के लिए कि वह इस प्रकार हकदार है, साक्ष्य प्रस्तुत करेगा ।"

(II) उप-विनियम (8) में, "उप-विनियम (7)" अभिव्यक्ति के स्थान पर "उप-विनियम (7घ)" अभिव्यक्ति रखी जाएगी ।

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./727/2023-24]

**टिप्पण**: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 130, तारीख 31 मार्च, 2017 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.010, तारीख 31 मार्च, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 457, तारीख 16 सितम्बर, 2022 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.095, तारीख 16 सितम्बर, 2022 प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 द्वारा किया गया था ।

**INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st January, 2024

**Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) (Amendment) Regulations, 2024**

**No. IBBI/2023-24/GN/REG109.—**In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017, namely: -

1. (1) These Regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) (Amendment) Regulations, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017 (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), in regulation 3, in sub-regulation (1) -

(I) in clause (a), after the phrase "as the case may be, verified by an affidavit stating that – " -

(a) in sub-clause (i), the word "and", after the words and mark "the liquidation;", shall be omitted.

(b) in sub-clause (ii), after the words and mark "defraud any person;", the word "and", shall be inserted.

(c) after sub-clause (ii), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

"(iii) the corporate person has made sufficient provision to meet the obligations arising on account of pending matters mentioned in sub-clause (iii) of clause (b)."

(II) in clause (b),

(a) in sub-clause (ii), after the words and mark "by a registered valuer;", the word "and", shall be inserted.

(b) after sub-clause (ii), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

"(iii) disclosure about pending proceedings or assessments before statutory authorities, and pending litigations, in respect of the corporate person."

3. In the principal regulations, in regulation 8, in sub-regulation (1), in clause (b), the word "Annual" shall be omitted.

4. In the principal regulations, in regulation 37,

(I) in sub-regulation (2),

(a) for the words "twelve months", the words "the period stipulated in sub-regulation (1)", shall be substituted.

(b) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

"(a) hold a meeting of the contributories of the corporate person within fifteen days –

(i) from the end of two hundred and seventy days or ninety days, as the case may be, and

(ii) thereafter at the end of every succeeding two hundred and seventy days or ninety days, as the case may be,

as stipulated in sub-regulation (1), till submission of application for dissolution of the corporate person; and"

(c) in clause (b),

(i) the word "Annual" shall be omitted.

(ii) in sub-clause (iii), the word "and" shall be omitted.

(iii) in sub-clause (v), the word "and" shall be omitted.

(iv) in sub-clause (vi), the mark ".", shall be substituted with the word and mark "; and".

(v) after sub-clause (vi), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

"(vii) the reasons for not completing the process within stipulated time period and the additional time required for completing the process."

(II) in sub-regulation (3), the word "Annual" shall be omitted.

(III) after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

"(4) The liquidator shall file the Status Report with the Board within seven days of the meeting of contributories."

5. In the principal regulations, in regulation 39,

(I) for sub-regulation (7), the following sub-regulations shall be substituted, namely:-

"(7) Prior to dissolution of the corporate person, a stakeholder, who claims to be entitled to any amount deposited into the Corporate Voluntary Liquidation Account, may apply to the liquidator in Form-I for withdrawal of the amount.

(7A) On receipt of request under sub-regulation (7), the liquidator after verification of the claim, shall request the Board for release of amount to him for onward distribution.

(7B) The Board on receipt of request under sub-regulation (7A) may release the amount to the liquidator.

(7C) The liquidator shall, after making the distribution to the stakeholder shall intimate the Adjudicating Authority of such distribution.

(7D) After dissolution of the corporate person, a stakeholder, who claims to be entitled to any amount deposited into the Corporate Voluntary Liquidation Account, may apply to the Board in Form-I for an order for withdrawal of the amount.

(7E) If any other person other than the stakeholder claims to be entitled to any amount deposited to the Corporate Voluntary Liquidation Account, he shall submit evidence to satisfy the liquidator or the Board, as the case may be, that he is so entitled."

(II) in sub-regulation (8), for the expression "sub-regulation (7)", the expression "sub-regulation (7D)" shall be substituted.

RAVI MITAL, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./727/2023-24]

**Note**: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017 were published *vide* Notification No. IBBI/2016-17/GN/REG010 on 31st March, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 130 dated 31st March, 2017 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) (Second Amendment) Regulations, 2022 published vide notification No. IBBI/2022-23/GN/REG095 dated 16th September 2022 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 457 on 16th September, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA